

1



राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :-प1(1) कार्मिक/नि.चि./31/08/ 1156

दिनांक:- 31/7/08

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये ब्यूटी ऑप्टीकल्स एण्ड हैल्थ साईंसेज प्रा०लि० (Authorise Frenchise of Sample Collection Centre of Dr Lal Pathlabs Private Limited) को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ खून संबंधित जाँच की सुविधा मण्डल कार्मिकों को रियायती दर पर उपलब्ध करवाने हेतु मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव
CK

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता I/II रा०आ०मं०,जयपुर।
2. व०नि०स०-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज०आ०मण्डल,जयपुर।
3. अति० मुख्य अभियंताराज०आ०मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त..... रा०आ०मं०.....।
5. आवासीय अभियंता खण्ड.....रा०आ०मं०.....।
6. ब्यूटी ऑप्टीकल्स एण्ड हैल्थ साईंसेज प्रा०लि०, 309/6 शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर। मोबाईल नं० - 9414528025
7. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज०आ०मण्डल,जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रावली।

सचिव
CK
1/07/08